## कार्यालय निदेशक:– हे0न0ब0ग0वि0वि0स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल टिहरी (टि0ग0)

विज्ञप्ति संख्या/01/छात्रावास मैस/निविदा 2024–25 दिनांक:– 17–09–2024

### निविदा सूचना

हेमवती नन्दन बहुगुणा ग0वि0वि0 परिसर बादशाहीथौल टिहरी **वर्ष 2024–25 के लिए छात्रावासो में (पुरूष एवं महिला) में भोजन आपूर्ति हेतु एक ही निविदा आमन्त्रित की जाती है।** निविदा की विस्तृत जानकारी वि0वि0 की वेवसाईट www.hnbgu.ac.in के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

इच्छुक निविदादाता, निविदा फार्म वि0वि0 के वेवसाईट www.hnbgu.ac.in से दिनांक 17–09–2024 से दिनांक 02–10–2024 समय 4.00 बजे सायं तक डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।

निदेशक कार्यालय के छात्रावास अनुभाग में निविदाओं के शील्ड लिफाफे जमा करने की अन्तिम तिथि 03–10–2024 के सायं 5.00 बजे तक है। निविदाओं को निदेशक द्वारा गठित समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख दिनांक 04–10–2023 को अपरान्ह 3.00 बजे खोला जायेगा।

17/09/24

निदेशक

निदेशक
हे0 न0 ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल
टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
पिन– 249199

17/09/2024
Conv.

संयोजक/ उप–छात्रावास अधीक्षक 17/09/2024

उप-छात्रावास अधीक्षक
हे० न० ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय
स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल
टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
पिन-249199

## कार्यालय निदेशकः— हे0न0ब0ग0वि0वि0परिसर बादशाहीथौल टिहरी(टि0ग0)

विज्ञप्ति संख्या/01/निविदा 2024—25 दिनांकः— 17—09—2024

**भोजन निविदा—प्रपत्र**
**वित्तीय वर्ष—2024—25**

**निविदा प्रपत्र के चार भाग है।**
(क) भोजन व्यवस्था के निविदादाताओं के लिए निर्देश एवं शर्तें
(ख) साप्ताहिक मैनू
(ग) तकनीकी बिड
(घ) वित्तीय बिड

**प्रपत्र (क) भोजन व्यवस्था के निविदादाताओं कें लिए निर्देश एवं शर्ते :—**

1. **स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल टिहरी की छात्रावास समिति की ओर से छात्र/छात्राओं की भोजन व्यवस्था हेतु मैस संचालकों/निविदादाताओं/ठेकेदारों से पुरूष तथा महिला छात्रावास के लिए एक ही शील्ड (Single Tender) निविदा आमन्त्रित की जाती है। निविदादाता को निविदा फार्म प्रपत्र (क), साप्ताहिक मैन्यू प्रपत्र (ख), तकनीकी बिड प्रपत्र (ग) के प्रत्येक पेज/पृष्ट पर सहमति हस्ताक्षर कर उक्त से सम्बन्धित याचित प्रमाण पत्रों की फोटोप्रतियों को ए—4 साईज लिफाफे के अन्दर रखकर शील्ड लिफाफा जमा करना होगा । तथा वित्तीय विड प्रप़त्र (घ) का छोटा लिफाफा भी शील्ड कर जमा करना होगा ।**
2. **निविदा के लिए एक बडा ए—4 साईज लिफाफा जिसमें प्रपत्र क, ख, ग एवं आवश्यक याचित प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियॉ एवं एक छोटे शील्ड बन्द लिफाफा में प्रपत्र घ—वित्तीय विड का होगा जिसके वाहर से निविदा दाता का नाम पता एंव मोबाइल फोन0 लिखा होना आवश्यक है।**
3. निविदा प्रपत्र वि0वि0 की वेवसाईट www.hnbgu.ac.in से डाउनलोड कर दिनांक 03—10—2024 सायं 5.00 बजे तक शील्ड लिफाफे परिसर निदेशक/छात्रावास कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए।
4. निविदायें निदेशक द्वारा गठित मैस समिति के द्वारा **दिनांक 04—10—2024 को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेंगी। निविदा फार्मो की जांच के पश्चात वित्तीय बिड खोली जायेगी।**
5. संलग्न निर्धारित मैनू के अनुसार छात्रावासों **(पुरूष/महिला)** में भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन करनी होगी जिसमें सुबह की चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, सायं की चाय के साथ स्नैक्स एवं रात्री का भोजन शामिल होगा।
6. **निविदादाता को प्रबन्धन के लिए पुरूष एवं महिला छात्रावास में अलग—अलग सुपरवाईजर/प्रबन्धक रखना आवश्यक होगा ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चलायी जा सके।**
7. **ग्रीष्मावकाश 2025 अथवा शैक्षिक सत्रान्त तक के लिए** बिना किसी व्यवधान के भोजन की नियमित आपूर्ति (छात्र/छात्राओं) करनी होगी।
8. निविदादाता द्वारा निविदा फार्म के साथ निविदा **प्रतिभूति** (धरोहर) राशि के रूप में रू0 5000.00 का डिमाण्ड ड्राप्ट/एफ0डी0आर0 न0/ बैंकर्स चैक जो निदेशक एस0आर0टी परिसर बादशाहीथौल के पक्ष में सलंग्न करना होगा । न्यूनतम प्रथम या आवॅटित निविदाओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राप्ट/एफ0डी0आर0 अथवा बैंकर्स चैक धनराशि वापस कर दी जायेगी।
9. निविदा स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित निविदादाता को दिनांक 09—10—2024 तक **रू0 5,00,000.00 (पॉच लाख मात्र)** कार्यपूर्ति राशि **एफ0डी0आर/टी0डी0आर** निदेशक हे0न0ब0ग0वि0वि0 परिसर बादशाहीथौल टिहरी के नाम बन्धक बनाकर जमा करनी होगी।

(निर्धारित तिथि तक बन्धक राशि रू0 5.0 लाख जमा न होने पर निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जाय, तथा द्वितीय न्युनतक दर दाता को निविदा आवॅटित की जायेगी) निविदा दाता को रू0 100.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र निष्पादन करना होगा । सत्र आरम्भ अथवा छात्रावास में प्रवेशार्थियों के प्रवेश होने पर कार्यादेश/आफर लेटर जारी किया जायेगा। **मैस आरम्भ करने के आदेश निर्गत होते ही मैस आरम्भ करनी अनिवार्य है।**

10. एफ0डी0आर0 बन्धक राशि (रू 5.0 लाख) जमा होने पर, निविदादाता को प्रतिभूति राशि रू0 5000.00 डिमाण्ड ड्राफ्ट /एफ0डी0डी0आर0/बैंकर्स चैक निविदा दाता को वापस किया जायेगा ।
11. ठेकेदार को खाना बनाने के लिए बर्तन ईंधन/गैस भटटी, गैस सलेन्डर अथवा मैस में काम आने वाले बर्तन एवं भोजन बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामाग्री जैसे खादय/भोजन सामाग्री मीनू के अनुसार प्रयुक्त की जाने वाली सब्जी, दाल, चावल, आटा आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
12. ठेकेदार को अच्छे/उच्च गुणवत्ता वाले खादय सामाग्रियों का उपयोग करना होगा, जिसका निरीक्षण परिसर स्तर पर गठित समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन/समय–2 पर भोजन बनाने से पूर्व किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान यदि कोई सामाग्री अच्छे/उच्च गुणवत्ता के अनुरूप नही पायी गयी तो ठेकेदार को सामाग्री बदलनी होगी।
13. ठेकेदार को परिसर समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा पर ही प्रातः चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, सायं की चाय के साथ स्नैक्स एवं रात्रि के भोजन की आपूर्ति करनी होगी। परिसर प्रशासन द्वारा किसी समय और परिस्थिति के अनुरूप आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है, इसकी पूर्व सूचना सम्बन्धित व्यवस्थापक को यथासमय दी जायेगी।
14. ठेकेदार को भोजन तैयार करने से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के लिए स्वयं कर्मचारी रखने होगें। **(पुरूष छात्रावास में 6 से 8 तथा महिला छात्रावास में 05 कर्मचारी रखने होगें)** इस हेतु परिसर द्वारा अलग से कोई सहायता देय नही होगी। कर्मचारी छात्रावास संचालन हेतु समय समय पर बनायें जाने वाले नियमों/दिशा निर्देशों का पालन करेगें। मैस कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली किसी भी क्षति एवं अनुशासनहीनता हेतु सम्बन्धित ठेकेदार जिम्मेदार होगा। अनुशासनहीनता की स्थिति में उक्त कर्मचारी को बिना कारण बतायें तुरन्त परिसर से बाहर कर दिया जायेगा एवं आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। मैस कर्मचारी निर्धारित ड्रेस पहनकर भोजन बनायेगें एवं परोसेंगें। छात्रावास में मैस कर्मचारियों की संख्या कम होने पर **प्रति कर्मचारी प्रतिदिन रू0 200.00 (दो सौ) की दर से अर्थदण्ड देना होगा जोकि मैस संचालक को देने होगा।**
15. परिसर प्रशासन द्वारा ठेकेदार को भोजन तैयार करने हेतु भोजनालय, डायनिंग हाल एवं स्टोर कक्ष उपलब्ध कराये जायेगे, जिसकी स्वच्छता एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। **डायनिंग हाल में टूट–फूट एवं मरम्मत पर आने वाले व्यय का वहन ठेकेदार को ही करना होगा।**
16. बिजली एवं पानी की व्यवस्था वि0वि0 द्वारा निर्धारित दरों पर परिसर प्रशासन द्वारा की जायेगी, ठेकेदार को मैस में हीटर का प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध होगा। मैस ठेकेदार/निविदादाता को **प्रति मैस का किराया रू0 2000.00, विधुत बिल का फिक्स किराया रू0 1500.00 प्रति माह एवं पानी का फिक्स बिल रू0 500.00 प्रतिमाह की दर से कुल रू0 4000.00 (चार हजार मात्र)** कुल दोनो मैस का किराया **रू0 8000.00 (आठ हजार मात्र)** प्रत्येक माह की 10 तारीख तक स्वय छात्रावास कार्यालय मे जमा करना होगा
17. **अस्वस्थ छात्र/छात्राओं को खिचड़ी/दलिया इत्यादि जैसे भोजन की व्यवस्था निविदादाता (मैस संचालक) के द्वारा करनी होगी।**
18. भोजन तैयार करने हेतु परिवेश की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देगा होगा। **डायनिंग हाल की रोज पानी से धुलाई, शौचालय की सफाई करवानी होगी। बचा हुआ भोजन, जूठन, कूड़ा आदि नालियों में बहाकर गन्दगी नही फैलायी जायेगी।** बचे **भोजन को एकत्र कर परिसर से बाहर निस्तारण की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।**

19. सम्बन्धित ठेकेदार को अपना कान्ट्रेक्ट किसी दूसरे को हस्तान्तरित करने का अधिकार नही होगा, अन्यथा की स्थिति में कान्ट्रेक्ट तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा, साथ ही जमानत राशि जब्त की जायेगी।
20. **परिसर में अधिकारिक अवकाश (शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश) के दिनों में अनुपस्थित छात्रों से भोजन का बिल नही वसूला जायेगा।**
21. निविदादाता के लिए परिसर छात्रावास मैस समिति द्वारा अधिकतम निविदा दर रू0 130.00 प्रतिदिन प्रतिछात्र निर्धारित की गयी हैं। **दरें पूर्ण रूपये में दी जाय, पैसे में अंकित की गयी दरें स्वीकार नही की जायेगी।**
22. निविदादाता द्वारा जिस दिन भोजन परोसने की गुणवत्ता में कमी पायी गयी तो उस दिन के छात्रावास समिति का निर्णय अन्तिम होगा ।
23. **निविदादाता को संलग्न मैनू के अनुसार ही अपनी भोजन दरें प्रतिदिन प्रति, छात्र के लिये देनी होगी।**
24. निविदा स्वीकार होने पर सम्बन्धित ठेकेदार/निविदादाता को अनुबन्ध करना पड़ेगा और निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित शर्तो व निर्देशों का पूर्ण पालन करना होगा।
25. ठेकेदार को शासकीय नियमानुसार आयकर एवं विकय कर स्वंय अपने स्तर से जमा करना होगा ।
26. निविदा स्वीकार करने की स्थिति में निविदादाता को यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि परिसर में **निविदादाता तथा उसके कर्मचारियों का पूर्ण विवरण फोटो सहित सम्बन्धित कर्मचारियों के पतों के सत्यापन के साथ परिसर प्रशासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा तथा किसी भी प्रकार का नशा या धूम्रपान,मदिरा इत्यादि का सेवन नही किया जायेगा, छात्रावास अधीक्षक /अधीक्षिका की शिकायत पर एक सप्ताह के नोटिस देने के बाद निविदा को निरस्त करने का अधिकार परिसर प्रशासन को होगा।**
27. भोजनालय में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र चिकित्सालय से बनवाकर एक सप्ताह के अन्दर छात्रावास कार्यालय में जमा कराना होगा,साथ ही कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन भी करवाना अनिवार्य है। कर्मचारी बदलने पर भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी। **कर्मचारी बदलने पर लिखित सूचना परिसर छात्रावास कार्यालय को तत्काल देनी होगी**
28. किसी पाली विशेष में मैनू के अनुसार भोजन/नाश्ता उपलब्ध न कराने अथवा गुणवत्ता युक्त न होने की स्थिति में वार्डन की रिपोर्ट के आधार पर भुगतान से कटौती की जायेगी और ऐसी **गम्भीर शिकायत तथा अव्यवस्था के प्रति तीन बार नोटिस दिये जाने के उपरान्त कान्ट्रेक्ट निरस्त किया जायेगा एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर दी जायेगी।**
29. किचन में अग्नि सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी ठेकेदार/निविददाता की होगी। भोजन बनाते समय पूर्ण सावधानी से कार्य किया जाना अपेक्षित है।
30. मैस की नालियॉ चोक होने पर तथा गडडे भरने पर ,नालियों/गडढों की सफाई आदि कार्य स्वयं ठेकेदार को अपने खर्चे पर करना होगा
31. मैस में ठेकेदार को अपना गीजर लगाना होगा ।
32. टेण्डर प्रकिया के दौरान एवं टेण्डर में वित्तीय विड खुलने के बाद भी परिसर प्रशासन को टेण्डर निरस्त करने का अधिकार होगा।
33. महिला/पुरूष छात्रावास के लिए यह निविदा प्रथम वार आमन्त्रित की जा रही है यदि किसी कारण एकल निविदा प्राप्त होती है तो छात्रावास समिति /परिसर प्रशासन को एकल निविदा खोलन का अधिकार होगा।
34. फार्म के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति संलग्न करें तथा निविदा खुलने के दिन निविदादाता को भैतिक रूप से अथवा उनका प्रतिनिधि समिति के सम्मुख मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। अपूर्ण निविदाओ पर विचार नही किया जायेगा ।

(a) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त फूड वैध लाईसेन्स की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।

(b) निविदादाता को व्यापार कर कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है अतः वैध **(जी0एस0टी पंजीकरण)** प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।

(c) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, जो 6 माह की अवधि(वर्तमान में बैध हो) के अन्तर्गत का हो।

(d) निविदादाता द्वारा आवासीय विद्यालय/सरकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान में गत दो वर्षो **(सत्र 2022–23 एवं सत्र 2023–24)** में **मैस संचालन** का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का कार्यालय दूरभाष नम्बर भी प्रमाण पत्र में अंकित करें।

(e) स्थायी खाता संख्या (PAN CARD) /आधार कार्ड (Aadhar Card) की छायाप्रति।

(f) कर निर्धारण विगत दो वित्तीय वर्षो (F.Y 2022–23 एवं F.Y 2023–24) का आयकर रिर्टन की प्रति संलग्न करनी होगी।

(g) निविदा फार्म के साथ **प्रतिभूति** (धरोहर) राशि के रूप में रू0 5000.00 का बैंक ड्राप्ट/डी0डी0आर0/बैंकर्स चैक, निदेशक हे0न0ब0ग0वि0वि0परिसर बादशाहीथौल के नाम बनाकर संलग्न करना अनिवार्य है।

(h) निविदादाता के पास मैस संचॉलन कार्यो के लिए पिछले 02 वर्षो (2022–23 एवं 2023–24) में न्यूनतम टर्नओवर रूपये पन्द्रह लाख प्रतिवर्ष होना आवश्यक है इस हेतु सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वैलेंस सीट एवं टर्नओवर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(i) निविदादाता की फर्म किसी भी सरकारी/आवासीय विद्यालय/शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेड नही होनी चाहिए इस आशय का नोटरी द्वारा **शपथ पत्र देना होगा**

(j) यदि निविदादाता द्वारा आपूर्ति की खाद्य सामग्री के सेवन से किसी छात्र/छात्राओं को नुकसान होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी । इस आशय का **शपथ पत्र देना होगा** ।

(k) निविदादाता द्वारा निविदा पत्र के साथ जो प्रप़त्र संलग्न किये गये है यदि वे प्रमाण पत्र गलत पाये गये तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी **निविदादाता की** होगी। इस आशय का **शपथ पत्र देना होगा** । यदि निविदादाता के उक्त प्रमाण पत्र गलत पाये गये तो भविष्य में ऐसे निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया से वंचित कर दिया जायेगा।

(l) मैस में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा/श्रम कानून के पालन कराने की जिम्मेदारी/ स्वयं निविदादाता/ ठेकेदार की होगी इस आशय का **शपथ पत्र देना होगा।**

**नोटः–** **निविदादाता को कम संख्य ,i,j,k,l तक के लिए एक ही शपथ पत्र को रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर दिया जा सकता है।**

17/9/2024 17/09/2024 17/09/2024

निदेशक — संयोजक — उप–छात्रावास अधीक्षक

निदेशक
हे0 न0 ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल
टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
पिन- 249199

उप-छात्रावास अधीक्षक
हे0 न0 ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय
स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल
टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
पिन-249199

प्रपत्र (ख) 2024–2025

## उपछात्रावास कार्यालय, हे0न0ब0ग0वि0वि0परिसर बादशाहीथौल टिहरी (टि0ग0)

### छात्रावास भोजन मैन्यू

| दिन/वार | नाश्ता | दोपहर भोजन | सायं 4 वजे | रात्रि भोजन |
|---|---|---|---|---|
| रविवार | आलू, टमाटर की सब्जी तथा रोटी एवं पूरी, चाय | राजमा, चावल, रोटी, सब्जी, खीर, सलाद | सायं की चाय के साथ सिनैक्स अधिकतम रू0 5.00 के मुल्य का | दाल, आलू न्यूट्री की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद |
| सोमवार | आलू/गोभी/मूली/प्याज परांठा, अचार, दही, चाय | दाल मखनी, चावल, रोटी, मौसमी सब्जी, सलाद | उपरोक्तानुसार | दाल उड़द चना, आलू गोभी या मौसमी सब्जी, रोटी, चावल, सलाद |
| मंगलवार | छोले (काबुली चना) सादा परांठा/रोटी, चाय | कड़ी, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद | उपरोक्तानुसार | उड़द छिलका दाल, भिण्डी /मौसमी सब्जी, चावल, रोटी, सलाद |
| बुद्ववार | आलू, टमाटर एवं पनीर की सब्जी, रोटी एवं पुरी, चाय | काला चना ,पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद | उपरोक्तानुसार | शाही पनीर अथवा कड़ाई पनीर, आलु बीन की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद |
| बृहष्पतिवार | आलू गोभी मूली के परांठा अचार दही, चाय | उडद राजमा मिक्स दाल, चावल आलू गोभी की सब्जी रोटी, सलाद | उपरोक्तानुसार | मसूर की दाल, आलु न्यूट्री की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद |
| शुक्रवार | छोले भटूरे, चाय | मिक्स दाल, आलु बैंगन की सब्जी, रोटी, चावल सलाद | उपरोक्तानुसार | काला चना, पत्ता गोभी की सब्जी,रोटी चावल,सलाद |
| शनिवार | आलू मटर की सब्जी सादा परांठा, रोटी, चाय | अरहर दाल, आलु पालक की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद | उपरोक्तानुसार | दाल उड़द चना, वैंगन भर्ता, चावल, रोटी, सलाद |

नोटः– 1– प्रत्येक बुद्ववार को रा़त्री भोजन में **(शाही पनीर अथवा कड़ाई पनीर)**

2–मैन्यू में सब्जियां मौसम के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है, किन्तु यह परिवर्तन तभी मान्य होगा जब मैन्यू में दी गयी सब्जी बाजार में उपलब्ध न हो।

3–प्रत्येक दिन सलाद में मूली,प्याज,गाजर या खीरा या अन्य सामाग्री जो बाजार में उपलब्ध हो अनिवार्य रूप से देनी होगी।

4–.छात्र/छात्रा की वीमारी की दशा में खिचड़ी या दलिया उपलब्ध करना होगा।

5– सुबह नाश्ते के साथ चाय तथा सायं 4 वजे प्रतिदिन अच्छी किस्म की चाय देनी होगी

6– सब्जी प्रति दिन बदल बदल कर बनानी होगी

**प्रपत्र– (ग) 2024–2025**

**कार्यालय निदेशकः– हे0न0ब0ग0वि0वि0परिसर बादशाहीथौलटिहरी(टि0ग0)**

तकनीकि बिड

1. निविदादाता का नाम.........................................................................................................
2. पता.........................................................................................................................
   फोन न0 कार्यालय.........................................................मोबाइल न0........................................
3. फर्म का नाम व पता.........................................................................................................
   ..........................................................................................................
4. व्यापार कर प्रमाण पत्र (G.S.T Number)...........................................................................
   (नियम शर्तो के अनुसार कर भुगतान प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

5- स्थाई आयकर खाता संख्या(PA N N0)------------
   नियम शर्तो के अनुसार विगत दो वित्तीय वर्षो (F.Y 2022–23 एवं F.Y 2023–24) का आयकर रिर्टन का प्रमाण पत्र तथा Pan Card की छाया प्रति संलग्न करें

6- धरोहर राशि का विवरण
   (क) बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 न0/बैकर्स चैक.......................................(ख) दिनांक...........
   (ग) धनराशि..............

7. कार्य अनुभवः– (नियम शर्तो के अनुसार)...................................................................
   संलग्न का विवरण

| | |
|---|---|
| 1. | 2 |
| 3. | 4 |
| 5.. | 6. |
| 7. | 8. |

दिनांकः

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

पूरा पताः

**प्रपत्र– (घ)**

**कार्यालय निदेशकः– हे0न0ब0ग0वि0वि0परिसर बादशाहीथौल टिहरी(टि0ग0)**

**वित्तीय बिड 2024–2025**

महोदय,

मैं, निविदादाता परिसर छात्रावास मैस समिति द्वारा निर्धारित मीनू के आधार पर भोजन की आपूर्ति हेतु सहमत हूँ।

अतः प्रातः कालीन चाय, नाश्ता, दिन का भोजन सांयकाल की चाय एवं स्नैक्स तथा रात्रि भोजन की व्यवस्था हेतु प्रतिदिन की दर निम्नवत प्रस्तुत करता हूँ। इस सम्बन्ध में मैंनें आवश्यक निर्देश एवं शर्तों का भली भॉति अध्ययन कर लिया है।

| इकाई | दर प्रति छात्र प्रतिदिन<br>(दर पूर्ण रूपये में दी जाय) |
|---|---|
| **दर प्रति छात्र, प्रति दिन,**<br><br>**(प्रपत्र ) (ख) में निर्धारित मैनू अनुसार)** | रूपये (अंकों में)........................................................<br>शब्दों में ..........................................................................<br>............................................................................ |

दिनांकः

हस्ताक्षर निविदादाता....................................

नामः–

पताः–

मोबाइल न0ः–